दावा बाबत् उद्घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

–: निर्णय :–

दिनांक : 29.04.2024

वादीयागण द्वारा एक वाद जरिये अधिवक्ता पेश किया गया जिसका संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वाके ग्राम भादवासी पटवार हल्का भादवासी तहसील व जिला सीकर में भूमि खसरा नम्बर 172 रकबा 2.60 हैक्ट, 267 रकबा 0.02 हैक्ट कुल किता 2 कुल रकबा 2.62 हैक्ट तथा ख.न. 265 रकबा 1.68 हैक्ट, ख.न. 266 रकबा 3.25 हैक्ट, ख. 268 रकबा 0.88 हैक्ट, ख.न. 269 रकबा 1.94 हैक्ट, ख.न. 272 रकबा 2.70 हैक्ट कुल किता 5 कुल रकबा 10.45 हैक्ट अवस्थित है जो वादीगण की पैतृक कृषि भूमि है जिस पर उन्द खातेदारान के साथ अपने पैतृक हिस्से पर काबिज काश्त है। वादग्रस्त भूमि की वादियागण के पूर्वज दादा की कब्जाकाश्त खातेदारी व काश्तकारी रही है जिनकी मृत्यु होने पर उनके विधिक वारिसान का कब्जा काश्त रहा तथा उनकी मृत्यु होने के उपरान्त वादियागण के पिता काना की खातेदारी रही है। कानाराम जो वादियागण का जायन्दा पिता था जिनकी मृत्यु होने पर विरासत का नामान्तकरण संख्या 134 दिनांक 23.09.1998 पेश तहसीलदार सीकर द्वारा केवल मात्र प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पति व पिता प्रकाश का नाम भरा गया था तथा वादियागण की माता रामप्यारी की मृत्यु हो जाने पर उसका विवाद नामान्तकरण संख्या 342 दिनांक 20.03.2006 ग्राम पंचायत भादवासी के द्वारा प्रकाश व छोटूराम के नाम भरा गया है जो गलत है। उक्त दोनो नामान्तकरण भरते समय वादियागण जो कानाराम की जायंदा पुत्री हे जिनको बिना सुनवाई किये तथा बिना नोटिस के केवल मात्र प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पति व पिता के नाम भरा गया है जो गलत है। उक्त नामान्तकरण मजमे आम नहीं भरा गया केवल मात्र प्रतिवादी संख्या 1 व उसके पति प्रकाश के नाम से राजस्व अधिकारियों से मिली भगत करके गुपचुप, साजिश के तौर पर भरा गया जो विधिक वारिसान को बिना रिकॉर्ड पर लिये केवल मात्र वादग्रस्त भूमियों के प्रतिवादीगण संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 2 के पति व पिता के नाम दर्ज किया गया है। कानाराम व उसकी पत्नी रामप्यारी की मृत्यु होने पर भरा गया नामान्तकरण कानाराम के वारिसान वादियागण जो कानाराम की वैध संतान है जिनके सभी वारिसान के नाम की बिना जांच किये बिना व विधिक प्रकिया की पालना नहीं करके की गई। कानाराम पुत्र के वैध वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 8 के अलावा वादियागण भी है। उत्तराधिकार विधि के अनुसार पैतृक सम्पती में हिस्सा जन्म से ही होता है। वर्णित वादियागण की पैतृक कृषि भूमि है जो वादियागण के दादा से पिता को विरासत में हुई है। पिता कानाराम व माता रामप्यारी की मृत्यु उपरान्त वादियागण का भी भूमि में पिता में से प्रत्येक का हिस्सा 1/5 पर आज भी काबिज काश्त है। वादियागण के माता–पिता की मृत्यु होने पर विरासत का नामान्तकरण केवल प्रतिवादीगण 1 व 2 के पिता व पति के नाम भरा गया जबकि वादियागण कानाराम की वैध पुत्री है जिनका पिता की सम्पती में से 1/5 हिस्सा के हक अधिकारी है। वादग्रस्त भूमि

उप अधिकारी- सीकर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर (राज.)

9 रकबा 1.94 हैक्ट, ख.न. 272 रकबा 2.70 हैक्ट कुल किता 5 कुल रकबा 10.45 में क काना राम के हिस्सा में से वादियागण संख्या 1 ता 3 व प्रतिवादी संख्या 1 के क का हिस्सा 1/5 तथा प्रतिवादीगण 2 ता 8 के हिस्से 1/5 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार सीकर को निर्देशित किया जाता है कि इसी नुसार दर्ज राजस्व रिकार्ड करें।

आदेश आज दिनांक 29.04.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले यालय में सुनाया गया। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से हो।

उपखण्ड अधिकारी, सीकर

जय कौशिक (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी, सीकर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर (राज.)